

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 फरवरी 2026 — फाल्गुन 1, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्र. ESTB-101(1)/7/2024-GAD-4. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा (वर्गीकरण, भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, :-

अनुसूची-दो-क के कॉलम (2) एवं (3) में, अंक "60%" तथा "40%" के स्थान पर, क्रमशः अंक "50%" तथा "50%" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nager, the 20th February 2026

NOTIFICATION

No. ESTB-101(1)/7/2024-GAD-4.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh State Administrative Services (Classification, Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2023 namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In column (2) and (3) of Schedule-II-A, for the Figure "60%" and "40%", the figure "50%" and "50%" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.